रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2017, शनिवार/चैत्र 26—वैशाख 2, 1939

No. 15] NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2017, SATURDAY/CHAITRA 26—VAISAKHA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,–

(I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore - Chairman 2. Deputy Director (Economist), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore - Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore - Member 4. Under Secretary, Dealing with the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore - Member	Consultation with UPSC not necessary

[F. No. 4-05/2012-Fy (Admn-V)]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय), आशुलिपिक (श्रेणी-I) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग के अधीन या करने का लोप किया गया है, आशुलिपिक श्रेणी-I, (समूह 'ख' पदों) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय), आशुलिपिक श्रेणी-1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता,- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति,-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हे कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी-I	203*(2017)* कार्यभार के आधार पर परितर्वन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1: -** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 50 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिती जिले तथा चंबा – जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य, (ii) कौशल परीक्षण मानक: श्रुतलेख 10 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट की गति अनुलिपि : कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिंदी) **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुआर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये/**कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं **कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर

						कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाओं के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती व प्रोन्नत-व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 33%, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 67% (अल्पकालीक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<u>**प्रोन्नति:-**</u> श्रेणी में, वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 में आशुलिपिक श्रेणी II में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे** 1.अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक (मु.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-सदस्य 3. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य **समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्न लिखित होंगे** 1.अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक (मु.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

			टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी **वेतन मैट्रिक्स के स्तर** पर की गई सेवा समक्षी जायेगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधानसंस्थान /विश्वविद्यालय या लोक उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी /सांविधिक / स्वात्यशासी संगठनों के अंतर्गत आशुलिपिक पद के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या (ii) वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो।	3. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य	

[फा सं. 31(1)/4/2011-एस एण्ड डी]

रविन्दर कौर, डेस्क अधिकारी (ईडब्लयू-2)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th April, 2017

GSR. 127.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department,(Subordinate Offices) Stenographer (Grade–I) Recruitment Rules, 1994, except as respect things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stenographer Grade-I (Group 'B' Post) under the Central Public Works Department, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) Stenographer Grade-I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2017

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-**

The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualification, etc.–**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission to relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-I	203* *(2017) subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B Non-Gazetted Ministerial	Level 6	Selection	Not exceeding 30 years **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instruction for orders issued by the Central Government. **Note-2:** The Crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub	**Essential :** (i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board/University (ii) Skill Test Norms (a) Dictation: 10 Minutes @ 100 words per minute Transcription: 40 Minutes (English) 55 Minutes (Hindi) on computer only **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the competent authority or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at

						any stage of selection the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation or absorption, grades from which promotion or deputation to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for Direct recruits and promotees	33% by promotion failing which by deputation including short term contract, 67% by deputation (including short term contract failing which by direct recruitment)	**Promotion:** Stenographer Grade II in level 4 in the pay matrix with ten years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** In computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered by an officer on regular basis prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :** 1. Additional Director General, Central Public Works Department –Chairman 2. Deputy Director General (HQ), Central Public Works Department -Member 3.Director of Administration, Central Public Works Department -Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :** 1. Additional Director General, Central Public Works Department –Chairman 2. Deputy Director General (HQ), Central Public Works Department -Member 3.Director of Administration, Central Public Works Department -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay commission. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union Territories or recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' regular service in level 4 in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications specified in column (7)		

[F. No. 31(1)/4/2011-S&D]

RAVINDER KAUR, Desk Officer (EW-2)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निजी सचिव तथा वरिष्ठ निजी सचिव, समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय), निजी सचिवतथा वरिष्ठ निजी सचिव, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम-2017 है।

(2) ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में िविनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-**उक्त पदों पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता,- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति,-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वरिष्ठ निजी सचिव	06*(2017)* कार्यभार के आधार पर परितर्वन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-8	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति के द्वारा	<u>**प्रोन्नति :-**</u> इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में निजी सचिव **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, द्वारा अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली गई हो, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

			व्यक्तियों के संबंध में भी विचारकिया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमेंसे जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरीकर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर एक जनवरी 2016, वह तारीख जब से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मैट्रिक्स का लाभ लिया हो, से पूर्व की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में स्तर के अनुरूप समझी जाएगी।	2. उप महा निदेशक (मु.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य 3. निदेशक प्रशासन , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निजी सचिव I	37*(2017)* कार्यभार के आधार पर परितर्वन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति के द्वारा	<u>**प्रोन्नति :-**</u> इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में आशुलिपिक श्रेणी-I **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, द्वारा अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली गई हो, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा पूरी करने के साथ पदोन्नति के लिए परिवीक्षा	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1.अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक (मु.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य 3. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

			अवधि सफलता-पूर्व पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर एक जनवरी 2016, वह तारीख जब से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मैट्रिक्स का लाभ लिया हो, से पूर्व की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में स्तर के अनुरूप समझी जाएगी।		

[फा. सं. 31(1)/4/2011-एस एण्ड डी]

रविन्दर कौर, डेस्क अधिकारी (ईडब्ल्यू-2)

New Delhi, the 20th April, 2017

GSR. 128.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Private Secretary and Senior Private Secretary, Group 'B' posts under the Central Public Works Department, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) Private Secretary and Senior Private Secretary, (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2017

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-**

These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-**

The number of posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.–**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission to relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classifi-cation	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Private Secretary	06* (2017) * subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level 8	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation or absorption, grades from which promotion or deputation to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion.	**Promotion:** Private Secretary in the Level 7 in the pay matrix with two years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :-** 1. Additional Director General, Central Public Works Department –Chairman 2. Deputy Director General (HQ), Central Public Works Department - Member 3. Director of Administration, Central Public Works Department -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** In computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered by an officer on regular basis prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Private Secretary	37* (2017) * subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level 7	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion.	**Promotion:** Stenographer Grade-I in the Level 6 in the pay matrix with five years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :-** 1. Additional Director General, Central Public Works Department –Chairman 2. Deputy Director General (HQ), Central Public Works Department - Member 3. Director of Administration, Central Public Works Department -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered by an officer on regular basis prior to the 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay commission.		

[F. No. 31(1)/4/2011-S&D]
RAVINDER KAUR, Desk Officer (EW-2)